दिनांक	न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी प्रकरण संख्या :— बनाम	रिमार्क
10/5/25	वादी उपस्थित/अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अभिभाषक ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर नोट प्रेस किया/विड्रो किया/खारिज करने का निवेदन किया गया। उक्त आधारों पर बाद/प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सदस्य बैच संख्या —3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट अध्यक्ष बैच संख्या —3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत कैम्प लोहावट में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत कैम्प लोहावट में रैफर किया जाता है। पक्षकारान / अधिवक्ता दिनांक 10/5/2025 को लोक अदालत कैम्प लोहावट में उपस्थित रहे। Rajendra सहायक कलेक्टर बापिणी	Not Press [signature]

Reader
check & Report
[illegible]
29/7

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
जिला फलौदी।

राजस्व वाद संख्या :—2024 /

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नेनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी पडासला तहसील बापिणी जिला फलौदी।		1. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम 2. मांगीलाल पुत्र पदमाराम 3. हुक्माराम पुत्र पदमाराम 4. चम्पा पत्नी पदमाराम 5. जेठाराम पुत्र जैरामराम 6. भैराराम पुत्र जैरामराम 7. सोनाराम पुत्र जैरामराम 8. हिराराम पुत्र साजनराम 9. अचलाराम पुत्र ताजाराम 10. मांगी पत्नी सुरजनराम 11. आसी पत्नी दीपाराम 12. कानाराम पुत्र दीपाराम 13. मुकेश गोदारा पुत्र दीपाराम 14. लीला पुत्री दीपाराम 15. गुड्डी पुत्री दीपाराम 16. गंगा पुत्री दीपाराम 17. ईमरती पुत्री दीपाराम

नेनाराम

सभी जाति जाट निवासी
पडासला तहसील बापिणी
जिला फलौदी।

18.शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक
आफ इण्डियां शाखा
औसिंया।

19.राजस्थान सरकार जरीये
भूमिधारी तहसीलदार
बापिणी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर जी,

वादी की ओर से निम्न निवेदन है कि : –

1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पडासला के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 337 (तीन सौ सेतीस) रकबा 2.0882 (दो दशमलव जीरों आठ सौ बेयासी) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 (तीन सौ नब्बे) रकबा 5.2204 (पांच दशमलव बाईस जीरों चार) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 (चार सौ चौदह) रकबा 16.3574 (सोलह दशमलव पेतिस चोहतर) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 (ईग्यारे सौ बारह) रकबा 6.5154 (छः दशमलव ईकावन चोपन्न) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112/2 (ईग्यारे सौ बाहरे बट्टा दो) रकबा 0.9712 (जीरों दशमलव सिन्ताणु बारह) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139 (ईग्यारे सौ उन्नचालि) रकबा 3.3265 (तीन दशमलव बतीस पेंषट) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1140 (ईग्यारे सौ चालिस) रकबा 5.3257 (पांच दशमलव बतीस सतावन) हैक्टेयर, कुल खसरा नग 07 (सात) रकबा 39.8048 (उलचालिस दशमलव असी अडतालिस) हैक्टेयर

भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणो की सयुक्त सामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। जिसे आगे वाद पद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। वादग्रस्त भूमि की चालू चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 (दौ हजार इकोतर से दौ हजार चोहतर) में खाता संख्या 15, 330, 335, 339, 534 (पन्द्रह, तीन सौ तीस, तीन सौ पैतिस, तीन सौ उन्नचालिस, पांच सौ चौतीस) की प्रति–प्रमाणित सलग्न वाद पेश है।

2. यह है कि वादग्रस्त भूमि में वादी को उक्त खसरान् में से रकबा 9.8460 (नौ दशमलव चौरासी साठ) हैक्टेयर भूमि बन्ट में आती है शेष सम्पूर्ण भूमि जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगणों के बन्ट में आती है। वादग्रस्त भूमि में वादी का अपने बन्ट की भूमि का वाद के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये स्थान पर कब्जा काश्त किया हुआ है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि का सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार बन्टवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में करवाना चाहता है जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है।

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि का वाद के साथ सलग्न नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारो के पुर्वजों द्वारा पूर्व में मौखिक बन्टवाड़ा कर लिया गया था ओर मौखिक बन्टवाड़ा के माफिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्तकार है। लेकिन वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य व काश्त करवाने में कठिनाई हो रही है। आये दिन हक हिस्से की भूमि के विभाजन को लेकर वादी व प्रतिवादीगण में मनमुटाव बना रहता है। प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती से वादी की भूमि से बेदखल करने व वादी के

कब्जा काश्त में निर्माण कार्य कर कब्जा करने पर आमादा है प्रतिवादीगण ने जोर जबरदस्ती से वादी के कब्जा काश्त में पत्थर की पटटीया डाल कर स्थाई कब्जा करने पर आमदा हो गये तो वादी ने एक बार तो गांव मुख्यान से समझाईश करवाकर प्रतिवादीगण को वापस भेज दिया लेकिन जाते समय प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी की इस भूमि पर हम अपने मन माफिक कब्जा कर प्राप्त कर लेगे ओर जमीन को बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगे। बिना विभाजन करवाये सामलाती भूमि को अजनबी केताओ को बेचान करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेंधाज्ञा से कानून पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे ओर न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। स्थाई निषेधाज्ञा बाबत यह वाद पेश है स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी वादी है।

4. यह है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड़ मे बंटवारा नही किया हुआ है रेकर्ड़ में सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा नक्शे में तरमीम की हुई नही है खाता अलग किया हुआ नही है। जिसको लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते वक्त आपस में वाद विवाद मन मुटाव एवं लडाई–झगडा करने के लिए उतारू रहते है प्रतिवादीगण को कई बार भूमि का राजस्व रेकर्ड़ मे नजरी नक्शानुसार विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा आना – कानी करते रहे हैं और कहते रहे है कि जब भी मौका मिलेगा तो भूमि का विभाजन करवा देगे। लेकिन आज तक नही करवाया है तथा अभी हाल में दिनांक 24.06.2024 (चौबीस जुन दौ हजार चौबीस) को प्रतिवादीगण संख्यां 5, 6 व 7 (पांच, छः व सात) ने वाद ग्रस्त भूमि का

विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया ओर विशेष भू–भाग पर कब्जा करने एवं बिना विधिवत बन्टवाड़ा करवाये वादी के कब्जा काश्त की भूमि को किसी अजनबी केता को बेचान करके भु–माफियों से वादग्रस्त जायका को खुर्द बुर्द कर वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी इसलिए यह वाद खातेदारी बंटवाड़ा का मजबुरन पेश करना पड़ रहा और वादी अपने हक हिस्से की भूमि का सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये माफिक बंटवाड़ा आदि करवाने का हकदार है।

5. यह है कि वादकारण दिनांक 24.06.2024 (चौबीस जुन दौ हजार चौबीस) को बमुकाम ग्राम पडासला में तब उत्पन्न हुआ जब वादी अपने कब्जे कास्त की जमीन में भुमि सुधार कार्य कर झाडी कटाई के लिए जेसीबी मशीन से भुमि समतल कर सफाई करके फसल बोवाई के वास्ते जमीन तैयार करके जाली–तारबन्दी करने लगे तो प्रतिवादीगण संख्या 05 (पांच) से 07 (सात) ने खुटे ईत्यादी रोपने से माना कर दिया तो हमने दुसरे सह–खातेदारो को विवादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा करवाने का कहा तो उन्होने भी साफ इन्कार कर दिया ओर विषेश भू–भाग पर कब्जा करने एवं बिना विधिवत बन्टवाड़ा करवाये वादी के कब्जा काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार आज दिन जारी है।

6. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 19 (उन्नीस) भूमिधारी तहसीलदार बापिणी विवाद ग्रस्त भूमि का लैण्ड होल्डर होने से प्रफोर्मा आवश्यक पक्षकार अन्तर्गत धारा 53 (त्रैपन) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का होने से पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 18 (अठाहरे) के यहा भूमि रहन होने से प्रर्फोमा

पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध वादी का कोई अनुतोष नही है।

7. यह है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि ग्राम पडासला तहसील बापिणी मे घठित होने तथा दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकर का है।

8. यह है कि वाद नियमानुसार न्यायालय शुल्क अलावा फर्द तलबना के पेश है।

9. यह है कि इस्तदुआ वादी की ओर से निम्न आशय की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे :–

1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पडासला के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 337 (तीन सौ सेतीस) रकबा 2.0882 (दो दशमलव जीरों आठ सौ बेयासी) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 (तीन सौ नब्बे) रकबा 5.2204 (पांच दशमलव बाईस जीरों चार) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 (चार सौ चौदह) रकबा 16.3574 (सोलह दशमलव पेतिस चोहतर) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 (ईग्यारे सौ बारह) रकबा 6.5154 (छः दशमलव ईकावन चोपन्न) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112/2 (ईग्यारे सौ बाहरे बट्टा दो) रकबा 0.9712 (जीरों दशमलव सिन्ताणु बारह) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139 (ईग्यारे सौ उन्नचालि) रकबा 3.3265 (तीन दशमलव बतीस पेंषट) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1140 (ईग्यारे सौ चालिस) रकबा 5.3257 (पांच दशमलव बतीस सतावन) हैक्टेयर, कुल खसरा नग 07 (सात) रकबा 39.8048 (उलचालिस दशमलव असी अडतालिस) हैक्टेयर भूमि का सलग्न नजरी नक्शानुसार बन्टवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में किया जाकर अलग किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें,

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

2. यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द किया जावें की वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वय करे ओर न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण नही करे। ओर न ही वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करे।
3. यह है कि मुकदमा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलावे।
4. यह है कि अन्य दीगर दारदर्सी वादी के हक मे जो उचित हो ब–नजदीक इन्साफ वादी के हक मे समझे सादीर फरमाई जावे।

तस्दीक :–

मै वादी हल्फ से बमुकाम बापिणी में तस्दीक करते हैं कि उपरोक्त दावा के समस्त पेरा हमारे निजी ज्ञान एवं मेरे अधिवक्ता के द्वारा दी गई कानूनी सलाह के अनुसार सही एवं सत्य है इसमें कोई तथ्य छुपाया नही गया है। इस सत्यता के लिए ईश्वर मेरी मदद करे। इति दिनांक :–22.07.2024

राजूराम चौधरी (पल्ली)
एडवोकेट